कार्यालयः–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल. म0प्र0

–::: परिपत्र :::–

क्रमांकः– **Q-5** भोपाल, दिनांकः–**25-03-2020**

विषय :– **COVID-19** राष्ट्रव्यापी लॉक–डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था बाबत्।

संदर्भ :– माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक–**Q-5** जबलपुर, दिनॉक–**25-03-2020.**

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं, कि ::–

1- दिनांक–**14-04-2020** तक भोपाल जिले में स्थित किसी भी न्यायालय में कोई कार्य नहीं होगा और न्यायालय बंद रहेंगे। इस अवधि में केवल अत्यावश्यक मामले (जमानत आवेदन आदि) की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा निश्चित् किये गये समय व स्थान पर नामित न्यायिक अधिकारी द्वारा ही की जावेगी।

2- अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई जिला न्यायाधीश की अनुमति से ही की जावेगी और ऐसी अनुमति प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को ही न्यायालय भवन में प्रवेश दिया जावेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल से इस बाबत् अनुमति **E-Mail I.D.:-** dcourtbho@nic.in पर प्राप्त की जा सकेगी।

3- जिन अधिवक्ताओं व पक्षकारों को अनुमति दी गई है, उनकी सूची जिला न्यायालय भवन के मुख्य प्रवेश द्वार क्रमांक–**1** पर उपस्थित सुरक्षाकर्मी/सिविल न्यायालय भवन बैरसिया के मुख्य द्वार पर उपस्थित कर्मचारी के पास उपलब्ध रहेगी।

4- विभिन्न आरक्षी केन्द्रों से रिमाण्ड कार्यवाही हेतु/जमानत आवेदन–पत्रों में केस–डायरी लेकर पुलिस अधिकारी/प्रधान आरक्षक/आरक्षक को न्यायालय भवन में प्रवेश दिया जावेगा।

5-(A) अत्यावश्यक कार्य (रिमाण्ड व जमानत आवेदन–पत्र आदि) की सुनवाई **C.J.M./J.M.F.C.** से संबंधित मामलों में जिला न्यायालय भवन के न्यायालय कक्ष क्रमांक–**G-1** एवं सत्र न्यायालय/समस्त अपर सत्र न्यायालय/समस्त विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों की सुनवाई न्यायालय कक्ष क्रमांक–**G-2** में दोपहर **01:00** से **02:00** बजे तक की जावेगी।

(B) सिविल न्यायालय बैरसिया में नामित न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने न्यायालय कक्ष में दोपहर **01:00** से **02:00** बजे तक उक्तानुसार सुनवाई की जावेगी।

(C) अत्यावश्यक कार्य (रिमाण्ड व जमानत आवेदन–पत्र आदि)

Scanned with CamScanner

की सुनवाई हेतु नामित न्यायिक अधिकारियों की सूची पृथक से जारी की गई है।

6- सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण अपने–अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहें एवं अपने–अपने मोबाईल फोन निरंतर चालू रखें और सूचित किये जाने पर तत्काल आदेशानुसार उपस्थित रहें।

7- माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय, भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये पत्रों/ज्ञापनों एवं गाइड लाईन्स का सख्ती से पालन किया जावेगा।
संलग्नः:–संदर्भित परिपत्र की प्रति।

8- विभिन्न न्यायालयों में दिनांक–31–03–2020 तक जो प्रकरण नियत हैं, उनकी आगामी तिथियां पूर्व में ही सूचित की जा चुकी हैं। दिनांक–01–04–2020 से दिनांक–14–04–2020 तक नियत प्रकरणों की आगामी तिथियों की सूचना पृथक से दी जा रही है।
संलग्न : संदर्भित परिपत्र की प्रति।

Sd/-
राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल. म0प्र0

प्रतिलिपिः:–

1– रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

2– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, भोपाल/तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील–बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

3– समस्त न्यायिक अधिकारीगण : भोपाल/बैरसिया की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

4– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित्।

5– कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,

6– पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि समस्त थाना–प्रभारियों को निर्देशित् करें, कि निर्धारित समय में ही केस–डायरी व रिमाण्ड आदि प्रस्तुत किये जावें।

7– प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुविभाग जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल एवं सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित्, कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने जावें।

8– अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा–भोपाल की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित्।

9– संचालक, जन–सम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ, कि सभी दैनिक समाचार–पत्रों में उक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कृष्ट करें।

10– प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे एवं सभी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित् करें।

11– जिला नाज़िर/नायब नाज़िर सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ, कि एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

25.3.2020

राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल. म0प्र0

Scanned with CamScanner